सत्यमेव जयते

न्यायालय
सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद–पत्र संख्याः–114 / 2022 दर्ज तिथिः–12.12.2022

1. बाबूलाल पुत्र वरींगाराम
   जाति विश्नोई निवासी सुनारों की बेरी,लूखू, तहसील धोरीमना, जिला बाड़मेर

.....वादी

बनाम

1. हनुमानराम पुत्र वरींगाराम
2. श्रीराम पुत्र वरींगाराम
3. मंगली पत्नी वरींगाराम
4. ओमप्रकाश पुत्र वीरमाराम
5. किसनाराम पुत्र रिड़मलराम
6. प्रकाश पुत्र घेवरराम
7. बागाराम पुत्र नारायण
8. बाबूलाल पुत्र नारायणराम
9. लादू पुत्र नारायणराम
10. सोहनलाल पुत्र विरमाराम
11. खींवणी पत्नी पाबुराम
12. हीरा पत्नी विरमाराम
    जाति विश्नोई निवासी रोहिला पूर्व,पटवार हल्का लूखू,तहसील धोरीमना, जिला बाड़मेर
13. शाखा प्रबन्धक,राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा धोरीमना
14. शाखा प्रबन्धक,एसबीबीजे वर्तमान एसबीआई शाखा धोरीमना
15. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार धोरीमन्ना

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः–श्री रामनिवास विश्नोई
प्रतिवादीगणः–श्री देवाराम चौधरी
(1,2,3,11)

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–88,89(छ),40,188,209
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

–:निर्णयः–

निर्णय तिथिः–28.10.2025

1. आज यह पत्रावली राजस्व वाद अन्तर्गत धारा–88,89(छ),40,188,209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 का वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। वाद पत्र का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादी ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–88, 89(छ), 40, 188, 209 के तहत वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 12 की संयुक्त आराजी तहसील धोरीमना के पटवार मण्डल लूखू के ग्राम रोहिला में खेत खसरा नम्बर 201/8.4984 है0, 454/3.4560 है0, 190/7.8266 है0, 200/4.0549 है0, 428/2.9785 है0, 448/5.7384 है0, ग्राम कावों की बेरी के खेत खसरा संख्या 51/3.9983 है0, 89/2.8166 है0 सुनारों की बेरी खसरा संख्या 104/9.9148 है0 में वादी का 1/12 वां हिस्सा तथा ग्राम रावों की बेरी के खेत खसरा संख्या 11/477/25.8998 है0, में वादी 1/16 हिस्से का खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। जिसे आगामी पदों में विवादित आराजी से संबोधित किया जायेगा। वादी ग्प्रम सुनारों की बेरी पटवार हल्का लूखू तहसील धोरीमना जिला बाड़मेर का मूल निवासी है तथा कृषि भूमि ग्राम सुनारों की बेरी,रोहिला,कावों की बेरी व रावों की बेरी में स्थित है। विवादित आराजी वादी की पैतृक व पुस्तैनी आराजी है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 2 के पिता तथा प्रतिवादी संख्या 3 के पति वरींगाराम पुत्र भाखराराम के नाम थी। वरींगाराम पुत्र भाखराराम के फौत होने से वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुआ। वक्त दर्ज में '' बाबूलाल पुत्र वरींगाराम के स्थान पर बाबू पुत्र वरींगा व पाबू पुत्र वरसींगा'' दर्ज कर दिया गया है। बाद चौसाला जमाबंदियों में बाबूलाल पुत्र वरींगा के स्थान पर बाबु पुत्र वरींगा व पाबू पुत्र वरसींगा कर दिया गया जबकि प्रार्थी के समस्त दस्तावेजात् व आईडी व अन्य रिकॉर्ड प्रार्थी का सही नाम बाबूलाल पुत्र वरींगाराम दर्ज है। इस प्रकार जमाबन्दी में राजस्व कर्मचारियों द्वारा गलत अंकन किया गया है। अंत में वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि वादी का उक्तानुसार वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में नाम बाबूलाल पुत्र वरींगाराम दर्ज किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जावे।

2. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 4 से 10 व 12 से 14 के सम्मन विधिवत तामिल के बावजूद अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 व 11 द्वारा असालतन– वकालतन उपस्थित न्यायालय होकर जवाब प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में तहसीलदार धोरीमन्ना से जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा अपने पत्रांक 2311 दिनांक 11.09.2025 के संलग्न मौका जांच रिपोर्ट प्रेषित की जो कि शामिल पत्रावली की गई।

3. तत्पश्चात पत्रावली वादी साक्ष्य हेतु नियत करने पर वादी द्वारा साक्ष्य के रूप में निम्न शपथ पत्र, गवाह एवं दस्तावेज प्रदर्श करवाऐ।

दस्तावेज	संवत/विवरण	प्रदर्श
जमाबंदी	खाता संख्या 38 मौजा रोहिला	प्रदर्श–01
जमाबंदी	खाता संख्या 39 मौजा रोहिला	प्रदर्श–02
जमाबंदी	खाता संख्या 46मौजा रोहिला	प्रदर्श–03

जमाबंदी	खाता संख्या 40 मौजा रावों की बेरी	प्रदर्श–04
जमाबंदी	खाता संख्या 38 मौजा कावों की बेरी	प्रदर्श–05
जमाबंदी	खाता संख्या 31 मौजा कावों की बेरी	प्रदर्श–06
जमाबंदी	खाता संख्या 41 मौजा सुनारों ककी बेरी	प्रदर्श–07
नामान्तकरण	कावों की बेरी	प्रदर्श–08
आधार	वादी स्वयं का आधार कार्ड	प्रदर्श–9ए
निर्वाचन पहचान पत्र	वादी स्वयं का भारत निर्वाचन आयोज पहचान पत्र	प्रदर्श–10ए
जन आधार	जन आधार संख्या 4771415002	प्रदर्श–11ए
पेन कार्ड	वादी स्वयं का आयकर विभाग पेन कार्ड	प्रदर्श–12ए

1. प्रकरण में वादी द्वारा साक्ष्य स्वरूप निम्न गवाह प्रस्तुत किए–

नाम	जाति	निवासी
बाबूलाल पुत्र वरींगाराम	विश्नोई	सुनारों की बेरी

तत्पश्चात पत्रावली प्रतिवादी साक्ष्य हेतु नियत होने तथा प्रतिवादीगण द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तत नहीं करने पर पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई।

4. पत्रावली पर वादी व प्रतिवादीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गई। दौराने बहस वादी अधिवक्ता द्वारा वाद पत्र में अंकित बिन्दुओं को मात्र दौहराते हुए हाल राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में बाबूलाल पुत्र वरींगा के स्थान पर बाबू पुत्र वरींगा दर्ज होने के कारण वादी को नापूर्ति योग्य नुकसान हो रहा है। अंत में वाद पत्र स्वीकार किया जाकर वादी हाल राजस्व रिकॉर्ड में बाबू पुत्र वरींगा दुरूस्त कर सही नाम बाबूलाल पुत्र वरींगाराम दर्ज कर घोषणा किये जाने का निवेदन किया गया। प्रतिवादीगण अधिवक्ता ने उक्तानुसार वादी का नाम हाल राजस्व रेकर्ड दुरस्त किये जाने की लिखित सहमति प्रस्तुत की तथा दौराने बहस कोई आपति व्यक्त नहीं की।

5. मैनें वादी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण में हाल राजस्व रिकॉर्ड मुताबिक जमाबंदी संवत् 2070–2073 वाके ग्राम रोहिला,कावों की बेरी,सुनारों की बेरी,तथा रावों की बेरी के नवीन खाता संख्या 38,39,46,40,31,41,का विवरण निम्न प्रकार हैः–

खातेदार	हिस्सा	हाल आराजी खसरा संख्या	रकबा
पाबू पुत्र वरींगा	1 / 12	201 मौजा रोहिला 454 मौजा रोहिला 190 मौजा रोहिला	8.4984 है0 3.4560 है0 7.8266 है0
बाबू पुत्र वरसींगा	1 / 12	200 मौजा रोहिला	4.0549 है0

		428 मौजा रोहिला 448 मौजा रोहिला	2.9785 है0 5.7384 है0
बाबू पुत्र वरसींगा	1/12	51 मौजा कावों की बेरी 89 मौजा कावों की बेरी	3.9983 है0 2.8166 है0
पाबू पुत्र वरींगा	1/12	47 मौजा कावों की बेरी 48 मौजा कावों की बेरी	0.0647 है0 4.6943 है0
पाबू पुत्र वरींगा	1/12	104 मौजा सुनारों की बेरी	9.9148 है0
पाबू पुत्र वरींगा	1/16	11/477 मौजा रावों की बेरी	25.8998 है0

6. प्रकरण में वादी का नाम से संबंधित अन्य दस्तावेजों का विवरण इस प्रकार हैः—

दस्तावेज का विवरण	नाम
आधार कार्ड	बाबु लाल पुत्र वरसिंगा राम
पहचान पत्र	पाबू राम उर्फ बाबु लाल
जनाधार कार्ड	बाबूलाल
पेन कार्ड	बाबूलाल पुत्र वरसिंगा

7. प्रकरण में तहसीलदार धोरीमन्ना की रिपोर्ट प्राप्त हुई जो कि संलग्न पत्रावली है जिसका प्रासंगिक विवरण का उद्धरण इस प्रकार हैः—

   1. *वाद पत्र में वर्णित आराजी के उक्त खसरान में सेवन से पाबू पुत्र वरसींगा व बाबू पुत्र वरींगा दर्ज है जो एक ही व्यक्ति है उक्त नाम से अन्य कोई व्यक्ति नहीं है तथा इसका सही नाम बाबूलाल पुत्र वरींगाराम है।*
   2. *प्रार्थी का जनाधार कार्ड,, आधार कार्ड, पैन कार्ड,पहचान कार्ड आदि में नाम बाबूलाल पुत्र वरींगाराम अंकित है तथा प्रार्थी को **बाबूलाल पुत्र वरींगाराम के** नाम से ही जाना जाता है।*

8. उक्त विश्लेषण के अनुसार मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट पाबू पुत्र वरसींगा व बाबू पुत्र वरींगा दोनों एक ही व्यक्ति के नाम है। वर्तमान में वादी का अन्य दस्तावेजों में नाम बाबूलाल पुत्र वरींगाराम अंकित है। अतः वादी का असल नाम अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अद्यद्यित किया जाकर मिलान किया जाना आवश्यक है ताकि वादी अपने खातेदारी अधिकारों का अबाद व पूर्ण उपयोग कर सके। अतः वादी के हाल राजस्व रिकॉर्ड में नाम संबंधी इन्द्राज को मुताबिक अन्य दस्तावेज असल नाम अनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जाना उचित है। अतः वादी का वाद—पत्र अन्य दस्तावेज व तहसीलदार रिपोर्ट से साबित होने के कारण स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

वादी का वाद–पत्र अन्तर्गत धारा–88,89(छ),40,188,209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 दस्तावेज व तहसीलदार रिपोर्ट से साबित होने के कारण स्वीकार किया जाता है एवं वादी की खातेदारी आराजी में नाम संबंधी इन्द्राज **पाबू पुत्र वरसींगा व बाबू पुत्र वरींगा** को कलमजन कर मुताबिक अन्य दस्तावेज व तहसीलदार रिपोर्ट **बाबूलाल पुत्र वरींगाराम** का अंकन करने के आदेश तहसीलदार धोरीमन्ना को दिये जाते हैं। बाकी राजस्व इन्द्राज बदस्तूर रखा जावे।

उक्त निर्णय की पालना हेतु एक प्रति तहसीलदार धोरीमन्ना को भिजवायी जावें।

यह आदेश आज दिनांक 28.10.2025 को लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
धोरीमन्ना–बाड़मेर